विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-13/16

मेसर्स बाला जी इन्टर प्राईजेज — आवेदक
अधिकृत सिगनेट्री पंकज अग्रवाल,
ग्राम सोना सांवरी, तह. इटारसी,
जिला–होशंगाबाद म.प्र.

विरूद्ध

महाप्रबंधक (सं./सं.), वृत्त, — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
होशंगाबाद म.प्र.

आदेश

(दिनांक 20.09.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक बी.टी. 03/2016 मेसर्स बाला जी इन्टर प्राईजेज, विरूद्ध महाप्रबंधक (सं./सं.), वृत्त, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. होशंगाबाद में पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–13/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में सुनवाई के दौरान दिनांक 23.08.2016 को आवेदक के अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी एवं अनावेदक के अधिवक्ता श्री सी.के. वलेजा एवं श्री राजेन्द्र दीवान, विधि सहायक उपस्थित हुए।

04 प्रकरण में बहस के दौरान आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनका एक 500 केवीए का विद्युत कनेक्शन ग्राम सोना संवरी में स्थापित है जिसकी की संविदा मांग 500 केवीए से 400 केवीए करने हेतु उनके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 11.7.2015 को दिया गया। (ओई–1) इसके पश्चात पुनः अनुज्ञप्तिधारी एवं अनावेदक को संविदा मांग कम न किये जाने पर एक स्मरण पत्र दिनांक 10.9.2015 को दिया गया। (ओई–2)

05 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.14 के तहत अनावेदक द्वारा कार्यवाही नहीं की गई एवं कंडिका 7.12(अ) के अनुसार जिसमें कि इस बात का प्रावधान है कि आवेदन पत्र पर विचार न किये जाने पर आवेदक को 15 दिन की अवधि में आवेदन पत्र स्वीकार न करने का कारण बताते हुए सूचना भेजी जानी चाहिए थी । यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 15 दिनों के अंदर उनके आवेदन पत्र पर निर्णय लिया जाता है तो आवेदक को नोटिस देकर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए था तथा 15 दिवस की अवधि पूर्ण होने पर संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुमति प्रदान की जाना मानी

जाएगी तथा नोटिस की अवधि समाप्त होने की अवधि से प्रारंभ होगी तथा संविदा मांग की कमी उक्त माह के उपरांत माह के प्रथम तिथि से प्रभावशील मानी जाएगी। अतः आवेदक द्वारा माह सितंबर 2015 से म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.11 एवं 7.12 (अ)(ब)(स) के मुताबिक 90 केवीए के फिक्स चार्जेज के लिए अधिक ली गई राशि रूपये 2,34,900/– मय शिकायत खर्च रूपये 10000/– के अनुज्ञप्तिधारी से वापस कराये जाने हेतु अनुरोध किया है।

06 उक्त के संबंध में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.11 के प्रावधान के अनुसार निर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन पत्र नहीं दिया गया था जिसके संबंध में उनके द्वारा आवेदक को दिनांक 10.8.2015 को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अवगत कराया गया। (ओई–3) इसके पश्चात आवेदक द्वारा दिये गये स्मरण पत्र दिनांक 10.9.2015 के अनुपालन में आवेदक को संविदा मांग 500 से 400 केवीए करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र देने हेतु अनुरोध किया गया। (ओई–4)

07 अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.11 के तहत निर्दिष्ट प्ररूप तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम 2009 के एनेक्सर–1 के बिन्दु (xv) के अनुसार संविदा मांग में कमी करने के आवेदन के साथ निर्धारित फीस रूपये 10000/– नहीं जमा कराई गई।

08 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक द्वारा मार्च 2016 में ऑनलाईन आवेदन दिये जाने के पश्चात मई 2016 में अनुबंध करने के पश्चात जून 2016 से आवेदक को घटी हुई संविदा मांग के अनुसार बिल किये जा रहे हैं। अतः आवेदक को सितंबर 2015 से संविदा मांग में कमी मानते हुए फिक्स चार्जेज के मद में जमा कराई गई राशि वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रकरण में तर्क एवं बहस सुनने के पश्चात अनावेदक को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तथा सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 14.9.2016 नियत की गई।

09 दिनांक 14.9.2016 को पुनः प्रकरण में सुनवाई प्रारंभ की गई। बहस के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस (ओई–4) से अनावेदक को प्रदाय की गई। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पूर्व में ही लिखित बहस प्रस्तुत की जा चुकी है इसके अलावा और कुछ नहीं कहना।

10 प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं तर्कों के आधार पर तथा म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधानों की विवेचना करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

अ आवेदक द्वारा अपनी लिखित बहस में 4.14 के तहत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यवाही न करने के संबंध में लिखा है जबकि कंडिका 4.14 निम्नदाब विद्युत प्रदाय उपभोक्ताओं के लिये लागू है। जबकि आवेदक का कनेक्शन उच्चदाब की श्रेणी में आता है। अतः आवेदक की यह आपत्ति आधारहीन एवं खारिज करने योग्य है।

ब म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में संविदा मांग में कमी किये जाने के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित की गई जिसकी कंडिका 7.11 में यह स्पष्ट है किया गया जो निम्न प्रकार है–

"7.11 उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी आवेदन निर्दिष्ट प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी की जाना अनुज्ञेय किया गया हो, वहां उपभोक्ता को एक सक्षम

अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) भी प्रस्तुत करना होगा।''

उपरोक्त के अनुसार आवेदक को निर्दिष्ट प्ररूप में दो प्रतियों में आवेदन के साथ–साथ सक्षम अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना था। जबकि आवेदक द्वारा एक पेपर पर उनके स्वीकृत 500 केवीए संविदा मांग को 400 केवीए करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो कि कंडिका 7.11 के विपरीत है।(ओई–1)

11 अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.12 के अनुसार निम्न कार्यवाही की जाना थी –

''7.12 संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न कदम उठाये जाएंगे :

(अ) अनुज्ञप्तिधारी आवेदन में उल्लेख किये गये कारणों पर विचार करेगा तथा आवेदन को स्वीकृति प्रदान करेगा अन्यथा आवेदन पर विचार न किये जाने पर आवेदक को तद्नुसार आवेदन पर विचार न किये जाने संबंधी कारण दर्शाते हुए 15 पूर्ण दिवस की अवधि के भीतर लिखित में उसे सूचित करेगा ।

(ब) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर उपरोक्त उल्लेखित 15 पूर्ण दिवस के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को लिखित नोटिस देकर उसका ध्यान आकृष्ट कर सकेगा तथा तदोपरांत भी यदि उपभोक्ता को निर्णय की सूचना 15 पूर्ण दिवस के भीतर प्रदान नहीं की जाती है तो संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी, जो ऐसे नोटिस अवधि की समाप्ति के उपरान्त आगामी दिवस से प्रारंभ होगी।

(स) ऐसे प्रकरण में जहां संविदा मांग में कमी किये जाने को अनुज्ञेय किया जा चुका हो, वहां संविदा मांग में कमी की जाना उक्त माह के उपरान्त माह की प्रथम तिथि से प्रभावशील हो जाएगी जब संविदा मांग में कम किये जाने संबंधी निर्णय आवेदक को सूचित किया गया हो।''

उपरोक्त कंडिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 10.8.2015 को आवेदक को यह स्पष्ट रूप से अगवत कराया गया कि संविदा मांग 500 केवीए से 400 केवीए करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करें जो कि उनके वेव पोर्टल www.mpcz.in/nic पर उपलब्ध है।

12 आवेदक द्वारा संविदा मांग म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.12(बी) में दर्शायी अवधि में कम नहीं किये जाने पर पुनः स्मरण पत्र अनावेदक को दिनांक 11.9.2015 को प्रेषित किया। (ओई–2) जिसके प्रतिउत्तर में अनावेदक द्वारा पुनः उन्हें ऑनलाईन आवेदन पत्र देने हेतु अनुरोध किया जिससे कि वे उनके आवेदन पत्र पर कार्यवाही कर सकें। (ओई–4) इससे स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरंतर आवेदक को अनुज्ञप्तिधारी की प्रचलित प्रक्रिया से अवगत कराने के उपरांत भी आवेदक द्वारा आवेद न प्रस्तुत करने की निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तथा जिसके कारण म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान 7.12(बी) की अनिवार्यता का लाभ आवेदक को दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा आवेदक द्वारा पूर्व में प्रथम बार संविदा मांग कम करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.11 का भी पालन नहीं किया गया। अर्थात निर्दिष्ट प्ररूप में ना तो

आवेदन पत्र दिया गया और ना ही प्रावधान के अनुसार सक्षम अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार का परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

13 आवेदक द्वारा मार्च 2016 में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए आवश्यक फीस रूपये 10000/– जमा कराये गये (ओई–6) तथा दिनांक 5.5.2016 को घटी हेतु संविदा मांग 400 केवीए का अनुबंध किया गया (ओई–7) जिसकी स्वीकृति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी की गई तथा संविदा मांग की कमी दिनांक 1.6.2016 से स्वीकृत की गई। (ओई–8) जो कि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.12(स) के अनुकूल है।

14 उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा पूर्व में अनुज्ञप्तिधारी की निर्धारित प्रक्रिया में ऑनलाईन आवेदन ना देने एवं मार्च 2016 में ऑनलाईन आवेदन देने एवं अनुबंध करने के पश्चात संविदा मांग में कमी की जाकर घटी हुई संविदा मांग का बिल दिनांक 1.6.2016 से प्रारंभ कर दिया गया जो कि नियमानुसार उचित है। अतः

(i) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश दिनांक 17.06.2016 की पुष्टि करते हुए आवेदक का अपील आवेदन खारिज किया जाता है ।

(ii) उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

15 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल